B — IV
L - 17
Economy.

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

इस अधिनियम को 2003 में पारित किया गया तथा जुलाई 2004 में लागू किया गया।

यह अधिनियम मूल रूप से अमेरिका के (Gramm Rudman Hollings Act) से प्रेरित है जो balanced budget (संतुलित बजट) पर जोर देता है

अन्य बातों के अलावा, इस अधिनियम में निम्न दो मुख्य लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था -

(i) 2008-09 के अंत तक राजस्व घाटे को शून्य पर लाना।

(ii) 2008-09 के अंत तक राजकोषीय घाटे को GDP के 3% स्तर तक लाना।

यह ध्यान देने योग्य है कि उपयुक्त दोनों लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं क्योंकि 2007-09 की Great Recession से, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए एक बड़े fiscal stimulus को लागू करना पड़ा।

इस एक्ट के लागू होते समय कई लोगों द्वारा इसकी आलोचना की गई थी

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

जिसका एक बड़ा आधार ये था कि इस एक्ट के लागू होने से Social Expenditure (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़े खर्चे) का स्तर कम हो जायेगा, क्योंकि भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में इन खर्चों का कोई विशेष महत्व नहीं है।

FRBM Act Review Committe

(i) गठन - 2016

(ii) रिपोर्ट - 2017

(iii) अध्यक्ष - श्री एन. के. सिंह

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

नए राजकोषीय लक्ष्य (New Fiscal Targets)

(i) राजकोषीय घाटा -

4.5 % (जी.डी.पी का)

[2025 - 26 के अन्त तक।]

(ii) ऋण - GDP अनुपात -

सामान्य सरकारी (General gov.)

↓

60 % (2024 - 25 तक)

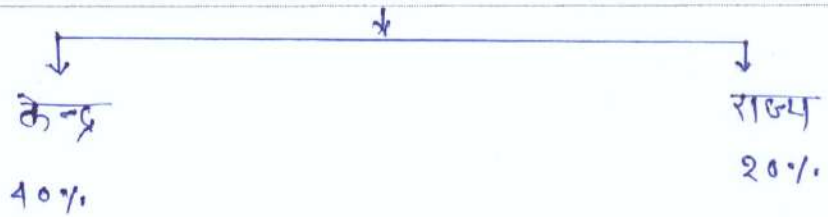

केन्द्र 40%

राज्य 20%

वित्त आयोग (Finance Commission)

प्रस्तावना :-

भारत में केन्द्र और राज्यों की राजकोषीय शक्ति के सन्दर्भ में निम्नलिखित दो प्रकार के असन्तुलन देखने को मिलते हैं:-

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

(i) लम्बवत असंतुलन : Vertical Imbalance

केन्द्र की राजकोषीय शक्ति राज्यों की तुलना में अधिक है।

कारण - संवैधानिक प्रावधान

(ii) क्षैतिज असंतुलन (Horizontal Imbalance)

राज्यों में पारस्परिक रूप से राजकोषीय शक्ति के सन्दर्भ में अंतर देखने को मिलते हैं।

कारण- राज्यों के आर्थिक विकास में पारस्परिक रूप से पाए जाने वाले अंतर।

इन्हें एक चित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है-

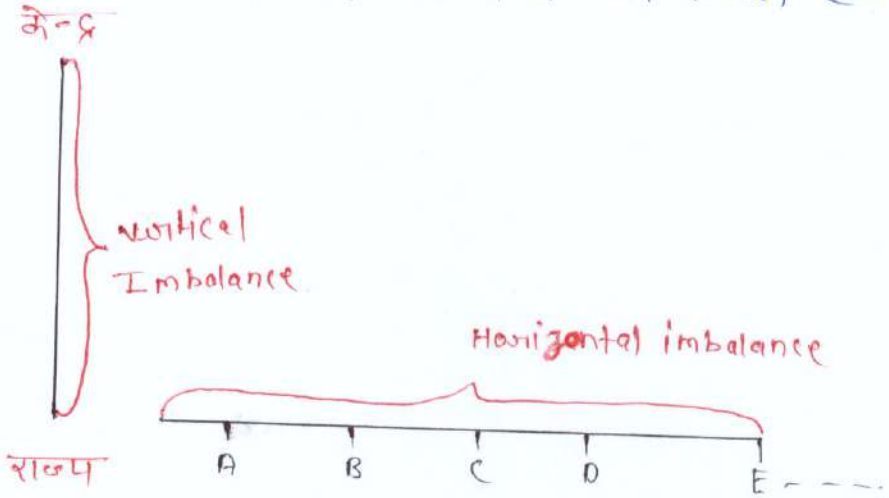

भारत में वित्त आयोग का गठन मुख्य रूप से उपर्युक्त वर्णित असंतुलनों को दूर करने के बारे में सुझावों के लिए किया जाता है; हालांकि वित्त आयोग से अन्य मुद्दों पर भी सलाह मांगी जा सकती है।

वित्त आयोग द्वारा लंबवत असंतुलन को दूर करने के लिए निम्न दो बातों का सुझाव दिया जाता है-

(i) केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा।

नोट :- उपकर और अधिभार से प्राप्त राजस्व इसका भाग नहीं होता है।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 275 में वर्णित वैधानिक अनुदानों का सुझाव देना।

क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के लिए आयोग एक सूत्र का प्रयोग करके वितरण योग्य राशि में उन राज्यों को अधिक हिस्सा देने की कोशिश करता है जो आर्थिक रूप से अधिक पिछड़े होते हैं। इसके अलावा, वह वैधानिक अनुदानों के अन्तर्गत ही राज्य विशिष्ट अनुदानों का प्रयोग कर सकता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR